रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2000/चैत्र 4, 1922
No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2000/CHAITRA 4, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2000

सं. 31/2000-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 16/2000–सीमाशुल्क, तारीख 8 मार्च, 2000 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात्.–

उक्त अधिसूचना मे,–

(i) सारणी में, कम संख्या 221 और उससे सबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित कम संख्या एवं प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेगी, अर्थात्

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"221क	84 या कोई अन्य अध्याय	अवतट पर तेल की खोज या उपयोग के प्रयोजनो के सबंध में प्रदाय किये जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए पुर्जे और कच्ची सामग्री	कुछ नहीं	कुछ नहीं	44क";

(ii) उपाबंध मे, शर्त स. 44 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त संख्या एवं प्रविष्टियॉ अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

शर्त सं.	शर्तें
"44क	यदि,– (क) पुर्जों और कच्ची सामग्री का सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार माल के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है; और (ख) प्रत्येक मामले में, भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र, उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत किया जाता है कि माल अपतट तेल की खोज या उसके विदोहन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है ।

[फा. सं. बी-9/1/2000-टी आर यू]

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 16/2000–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 [सा.का.नि. 168 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000], द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 27/2000–सीमाशुल्क, तारीख 6 मार्च, 2000 [सा.का. नि 224 (अ), तारीख 6 मार्च, 2000] द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2000

No. 31/2000-Customs

G.S.R. 261(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.16/2000-Customs, dated the 1st March, 2000, namely :-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 221 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"221A.	84 or any other Chapter	Parts and raw materials for manufacture of goods to be supplied in connection with the purposes of off-shore oil exploration or exploitation	Nil	Nil	44A" ;

(ii) in the Annexure, after condition number 44 and the entries relating thereto, the following condition number and entries shall be inserted, namely:-

Condition No.	Conditions
"44A.	If,- (a) the parts and raw materials are used in the manufacture of goods in accordance with the provisions of section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); and (b) a certificate is produced in each case to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from a duly authorized officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for the purposes of off-shore oil exploration or exploitation."

[F. No. B-9/1/2000-TRU]
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No.16/2000-Customs, dated the 1st March, 2000 [G.S.R.168(E), dated the 1st March, 2000] and was last amended by notification No. 27/2000-Customs, dated the 6th March, 2000 [G.S.R. 224(E), dated the 6th March, 2000].

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054